July - September, 2016

Rajasthan Police Academy

News Letter

47वें बैच के आरपीएस प्रशिक्षु अकादमी निदेशक एवं फैकल्टी के साथ

इस अंक में .....

पुलिस अकादमी में उल्लास से मनाया गया ७०वाँ स्वाधीनता दिवस
नेतृत्व परिवर्तन
आरपीए देश की श्रेष्ठ अकादमी की दौड़ में
बाल यौन हिंसा रोकने में साझे प्रयास की आवश्यकता
राजस्थान पुलिस अकादमी में नेत्रदान अभिप्रेरण सत्र

निदेशक की कलम से ...

अकादमी में पदस्थापन के पश्चात् पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित कई पहलुओं पर जानकारी करने का अवसर प्राप्त हुआ। विशेष रूप से पुलिस प्रशिक्षण की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिये जाने पर अहसास हुआ कि प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षु को फील्ड में पदस्थापन के दौरान आने वाली कठिनाईयों का मजबूती से सामना करने लायक बनाया जाना आवश्यक है। इस हेतु सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में इस प्रकार के विषयों के समावेश एवं प्रत्येक विषय को फील्ड की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में महत्व दिये जाने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रशिक्षण के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों में श्रेष्ठ प्रशिक्षकों की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापन साक्षात्कार के आधार पर इच्छुक अधिकारियों का किया जाता है परन्तु प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापन को विशेष भत्तों के द्वारा और अधिक आकर्षक बनाये जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण में प्रत्येक प्रशिक्षु को अनुसंधान में काम में आने वाले नवीनतम गॅजॅट्स का प्रयोग सिखाया जाना चाहिए। आज के युग में बढ़ते हुये आर्थिक अपराध, आतंकवाद, साईबर अपराध, संगठित अपराध के साथ ही महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से लोगों में पुलिस व्यवस्था के विरुद्ध विश्वास कम होने लगता है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर घटना विशेष पर जनता द्वारा दी जाने वाली तीव्र अभिव्यक्ति भी पुलिस के समक्ष प्रमुख चुनौती बनती जा रही है। प्रशिक्षण में पुलिसकर्मियों को मुश्किल परिस्थितियों से निपटने का भी प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

गत तीन माह में अकादमी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त–दुरूस्त करने तथा अकादमी के चहुँमुखी विकास हेतु एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने की दृष्टि से अकादमी को 48 केन्द्रों में विभक्त कर प्रत्येक केन्द्र का विस्तृत भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान समस्त अधिकारियों के साथ मिलकर प्रत्येक केन्द्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण कर उन्हें एक कम्प्यूटराइज्ड डॉकुमेन्टेशन के रूप में तैयार किया गया है। तत्पश्चात इन विकास संबंधी आवश्यकताओं को अल्पकालीन अवधि (short term) मध्यम अवधि (medium term) एवं दीर्घकालीन अवधि (long term) कार्य योजना में विभक्त किया गया है। मुझे पाठकों को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी अल्पकालीन योजनाओं को सम्पूर्ण कर लिया गया है। मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधि की कार्य योजनाओं पर कार्यवाही जारी है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पुलिस महानिदेशक महोदय एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) के मार्गदर्शन में आने वाले समय में अकादमी आधारभूत ढांचे एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में नये आयामों को छुएगी।

राजीव दासोत
निदेशक

पुलिस अकादमी में उल्लास से मनाया गया ७०वाँ स्वाधीनता दिवस

राजस्थान पुलिस अकादमी में 70वाँ स्वाधीनता दिवस पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अकादमी परिसर में शानदार सजावट की गई एवं अकादमी के प्रवेश द्वार एवं प्रमुख भवनों के सामने शानदार रंगोली सजाई गई। मुख्य समारोह श्री राजीव दासोत, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी के आगमन से प्रातः 8:00 बजे शुरू हुआ। स्टेडियम पहुँचने पर उनका अकादमी के उप निदेशक एवं सहायक निदेशकगण द्वारा स्वागत किया गया। निदेशक महोदय के मंच पर आगमन पर संचित निरीक्षक श्री ज्ञान सिंह के नेतृत्व में स्वाधीनता दिवस परेड द्वारा राष्ट्रीय सेल्यूट से अभिवादन किया गया। निदेशक महोदय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के पश्चात् अकादमी के बैण्ड द्वारा राष्ट्रगान वादन किया गया। राष्ट्रगान वादन के दौरान सभी उपस्थित वर्दीधारियों ने भी सेल्यूट कर राष्ट्रगान के प्रति सम्मान अभिव्यक्त किया।

इस अवसर पर अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने सभी उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों, आवासीय परिसर के निवासियों तथा अकादमी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ एवं बच्चों को 70वें स्वाधीनता दिवस की बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर देश के लिए शहीद होने वाले लोगों को कोटिशः नमन करते हुए आजादी के मूल्यों को सहेज कर रखने का आह्वान किया। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस की आचार संहिता को अपनाने के साथ ही राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य 'आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में डर' को चरितार्थ करने पर बल दिया। उन्होंने राजस्थान पुलिस अकादमी की गणना देश की श्रेष्ठ छः अकादमियों में होने के लिए सभी पूर्व निदेशकों तथा प्रशिक्षकों को अकादमी को इस स्तर पर पहुँचाने का श्रेय देते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों को अकादमी को और अधिक उत्कृष्टता प्रदान करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु में भी और अधिक सुधार की संभावना हमेशा रहती है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने देश के सम्मुख विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सभी को अपनी पूर्ण ऊर्जा एवं क्षमता के साथ कार्य करने का आह्वान किया तथा

प्रशिक्षण में ओर अधिक गुणवत्ता लाने की आवश्यकता बताई।

इस अवसर पर अकादमी में सभी कर्मचारियों एवं स्कूल की छात्र –छात्राओं को मिठाई वितरित की गयी। इसके पश्चात् अकादमी में प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुओं के बीच रस्सा कसी एवं फुटबाल मैच का आयोजन किया गया। रस्सा कसी की तीनों प्रतियोगिताएं जहाँ प्रशिक्षकों ने जीती, वहीं फुटबाल मैच 0–3 के मुकाबले प्रशिक्षुओं के पक्ष में रहा।

अकादमी में सांय 4:00 बजे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत एवं उनकी धर्मपत्नी के साथ ही अकादमी के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य तथा आवासीय परिसर के निवासी शामिल हुए। कार्यक्रम में देशभक्ति पूर्ण विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी गई। कार्यक्रम गणेश वन्दना से शुरू हुआ जिसमें आधुनिक एवं पुराने देशभक्ति गीतों के साथ ही नृत्य में भी नूतन एवं पुरानी शैली का मिश्रण था। समारोह के अन्त में निदेशक महोदय द्वारा रंगोली प्रतियोगिता एवं पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने के साथ ही सांस्कृतिक संध्या में कोरियोग्राफर के रूप में कार्य करने वाले कलाकारों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने शानदार सांस्कृतिक संध्या के आयोजन के लिए डॉ0 अनुकृति उज्जैनियाँ एवं उनकी टीम को बधाई दी।

मुक्ताशी रंगमंच का नवीनीकरण

राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित मुक्ताशी रंगमंच कई दिनों से उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। प्रयोग में नहीं आने के कारण रंगमंच में अनेक स्थानों पर टूट–फूट होना स्वभाविक था। अकादमी निदेशक श्री राजीव दासोत के पदस्थापन के पश्चात् उन्होंने अनेक स्थानों का व्यक्तिगत भ्रमण कर उन स्थानों को चिन्हित किया, जहाँ तत्काल सुधार की आवश्यकता थी। मुक्ताशी रंगमंच की विभिन्न सामग्री एवं मशीने रख–रखाव के अभाव में खराब हो गई थी, जिन्हें ठीक करने के निर्देश दिये गये। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाकर मुक्ताशी रंगमंच को उसके मूल स्वरूप से भी बेहतर बना दिया गया। अब यहाँ प्रशिक्षणार्थियों को प्रत्येक शुक्रवार को फिल्म दिखाई जा रही है तथा अब तक प्रशिक्षणार्थियों को मोहनजोदेड़ो, सुल्तान, थ्री इडियट, रुस्तम, दृश्यम एवं पिंक जैसी नवीनतम फिल्में दिखाई जा चुकी हैं। मुक्ताशी रंगमंच को आने वाले समय में ओर अधिक सुविधाजनक एवं नवीन तकनीक युक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

नेतृत्व परिवर्तन

राजस्थान पुलिस अकादमी में निदेशक के पद पर श्री ओ.पी. गल्होत्रा के स्थान पर श्री राजीव दासोत को लगाया गया है। श्री दासोत ने दिनांक 4 जुलाई 2016 को अकादमी की कमान सम्भाली है। श्री राजीव दासोत वर्ष 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है। आपने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा की शुरूआत की। आपको जैसलमेर, डूँगरपुर, चितौड़गढ़, कोटा शहर एवं बीकानेर में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने महानिरीक्षक पुलिस के रूप में उदयपुर, जोधपुर, कोटा एवं जयपुर रेंज के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आप मार्च 2002 से सितम्बर 2005 तक सीमा सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक जैसलमेर सेक्टर के पद पर पदस्थापित रहे, जहाँ 470 किलोमीटर भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का दायित्व सम्भाला। आप अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सतर्कता), खान विभाग के पद पर भी रहे तथा अकादमी में पदस्थापन से पूर्व आपने लगभग ढ़ाई वर्ष तक अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स के पद पर कार्य करते हुए आरएसी व एमबीसी की 16 बटालियन्स का सफल नेतृत्व किया।

आपको उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के मेडल एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जिनमें पुलिस मेडल फॉर मेरीटोरियस सर्विस, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल, ऑपरेशन विजय मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल तथा महानिदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो तथा महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल की कमेन्डेशन डिस्क आदि प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा आपको .32 बोर पिस्टल भेंट कर पुरस्कृत किया गया है। आपको गणतन्त्र दिवस 2015 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा गया है।

अकादमी में कार्यग्रहण करने के पश्चात् आपने प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं अकादमी के सौन्दर्यकरण पर विशेष बल दिया है। आपने अतिथि व्याख्याताओं में फीडबैक के आधार पर अध्यापन कार्य आवंटन करने के निर्देश दिये हैं। पुस्तकालय का सुचारु संचालन, अकादमी में पदस्थापित अधिकारियों के अवकाश आदि के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। आपने कार्यग्रहण करने के पश्चात् समस्त शाखाओं का व्यक्तिशः भ्रमण कर कार्य में गुणवत्ता हेतु अनेक निर्देश देकर पालना करवाई है। समस्त स्टाफ की सम्पर्क सभा में भी आपने अकादमी को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए अनेक निर्देश दिये है।

Your Competitors can
Copy your work,
Your style or your Procedure.
But, none can copy your
PASSION
"Be Passionate"

आरपीए देश की श्रेष्ठ अकादमी की दौड़ में

देश में पहली बार केन्द्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर सर्वोत्तम् पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के चयन की वर्ष 2015 की योजना के अन्तर्गत पूरे देश को विभिन्न जोन में विभाजित किया गया था। प्रथम चरण की प्रतियोगिता में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट, नई दिल्ली की ओर से मनोनीत राजस्थान के बाहर के 3 पुलिस अधिकारियों की टीम ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली समस्त पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों का इण्डोर व आउटडोर प्रशिक्षण, आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं रख–रखाव आदि के आधार पर आंकलन कर राजस्थान पुलिस अकादमी को नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया है। अगले चरण की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के चयन के लिए गृह मंत्रालय की ओर से मनोनीत 5 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से विभिन्न जोन में चुनी गई सर्वश्रेष्ठ अकादमियों का दौरा एवं निरीक्षण किया जाएगा।

राजस्थान पुलिस अकादमी निरन्तर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। अकादमी में आधारभूत ढ़ांचे के विकास के साथ ही प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अकादमी में वर्षभर विभिन्न गतिविधियाँ चलती रहती हैं। अखिल भारतीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं के साथ ही पुलिस की अखिल भारतीय स्तर की सेमीनार एवं सिम्पोजियम आदि का आयोजन अकादमी में किया जाता रहा है। प्रशिक्षण में अकादमी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे अधिकारियों को वीआईपी की सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही चण्डीगढ़ पुलिस के आरक्षियों को भी दो बैच में सफल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अमरिका द्वारा अकादमी में अब तक तीन एन्टी टेररिस्ट असिस्टेंस कोर्स आयोजित करवाये जा चुके है। अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए अब तक सात वर्टिकल इन्टरेक्शन कोर्स आयोजित करने के साथ ही कई इन सर्विस कोर्सेज में देश के विभिन्न राज्यों से पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण लेने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी आते हैं।

अकादमी के आधारभूत ढ़ांचे को उच्चतम स्तर का बनाने का कार्य जारी है। अकादमी के पास अपना बहुत बड़ा भू–भाग है जिसका रख–रखाव आगुन्तक को प्रभावित करता है। निश्चित ही यह राजस्थान का ही नहीं वरन् देश का सर्वश्रेष्ठ कैम्पस है। अकादमी में सभी स्थल वर्षभर बेहतरीन तरीके से संधारित किये जाते है। अकादमी स्थित शहीद स्मारक, अश्व–शाला, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, तरणताल, विभिन्न खेल के मैदान, परेड ग्राउण्ड, शीशमहल, ओपन एयर थिएटर, जिम्नेजियम, मल्टीपरपज हॉल, अस्पताल, केन्टीन, मनुसदन, मरूधर सदन एवं विभिन्न हॉस्टल्स के साथ ही विभिन्न कॉन्फ्रेन्स हॉल, कक्षा–कक्ष, साईबर लेब आदि सभी उच्च मानकों को प्रतिस्थापित करते है। उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त सभी आउटडोर एवं इण्डोर फैकल्टी के सदस्यों का पदस्थापन उनकी इच्छा पर अकादमी में किया गया है। वस्तुतः स्वेच्छा से अकादमी चुनने वाले स्टाफ एवं फैकल्टी सदस्यों का अकादमी को उत्कृष्ट बनाने का जज्बा एवं उनकी क्षमताएं ही अकादमी को देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी बनायेंगे। अकादमी में कक्षा कक्षों में फैकल्टी सदस्यों द्वारा अधिकांशतः पॉवर पॉइन्ट के माध्यम से अध्यापन कराया

जाता है। सभी आधारभूत प्रशिक्षण के विषयों पर पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति तैयार की जा चुकी है। जब भी अकादमी में प्रशिक्षण का दबाव कम होता है तो प्रशिक्षकों की क्षमता संवर्धन करने के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (टी.ओ.टी.) का आयोजन कर उनकी जानकारी एवं प्रस्तुतिकरण की कला में अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है।

राजस्थान पुलिस अकादमी में कान्स्टेबल, उप निरीक्षक एवं राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण के अतिरिक्त हैड कॉस्न्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं निरीक्षक पुलिस का पदोन्नति पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए भी कैडर आवंटन के पश्चात् राजस्थान में कार्य ग्रहण करने पर अकादमी में 15 दिवस का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिसमें राजस्थान से संबंधित स्थानीय विधि के साथ ही राजस्थान की संस्कृति एवं भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्रदान की जाती है।

अकादमी में सामाजिक सरोकार एवं राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में भी गहरी रुचि ली जाती है। प्रतिवर्ष शहीद दिवस पर किया जाने वाला रक्तदान, वृक्षारोपण, अकादमी का सौन्दर्यकरण, स्वच्छता अभियान के साथ ही कच्ची बस्तियों में व्याप्त बुराईयों को मिटाने के लिए कैम्प आदि का आयोजन अकादमी की परम्परा रही है। महिला सुरक्षा के मामले में अकादमी द्वारा प्रदेश के विद्यालयों के महिला शारीरिक शिक्षकों को महिला सुरक्षा में प्रशिक्षण दिया जाकर बेटियों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया गया है। विभिन्न विद्यालयों में जाकर अकादमी की महिला प्रशिक्षक लड़कियों को आत्म रक्षा के गुर सिखाती है। गुरूवार मीटिंग के माध्यम से अकादमी स्टाफ को स्वास्थ्य, नियोजन आदि समसामयिक विषयों पर जागरूक बनाने का प्रयास किया जाता है। विपदा की स्थिति में अकादमी द्वारा अपने स्टॉफ के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर आपस में जुड़ने का अनुकरणीय उदाहरण अनेक बार प्रस्तुत किया गया है। अकादमी वर्ष 2006 से तम्बाकू मुक्त क्षेत्र है। जीवन में व्यसनों से दूर रहने का सन्देश यहाँ की फिजाओं में है।

अकादमी को देश में शीर्ष स्थान पर लाने का कार्य चुनौतीपूर्ण भले ही हो परन्तु अकादमी की समर्पित टीम इसे मुश्किल नहीं मानती है। अकादमी के प्रत्येक सदस्य का यह प्रयास है कि उसे देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हो। अकादमी के सदस्य सामाजिक सरोकार एवं राष्ट्रीय महत्व को सभी कार्यों में पूर्ण उल्लास के साथ भाग लेते हैं।

धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक को मिला केन्द्रीय गृहमन्त्री मेडल

वर्ष 2015 में गृह मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा पुलिस संगठनों, केन्द्र शासित प्रदेशों एवं केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रशिक्षण संस्थानों के उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय का मेडल प्रदान करने हेतु योजना घोषित की गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थान में लगातार दो वर्ष तथा कुल तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले इण्डोर, आउटडोर प्रशिक्षकों तथा प्रशासनिक कार्य करने वाले कर्मियों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय का मेडल प्रदान करने की घोषणा की गई। इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थानों से संस्था प्रधान की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने सभी वर्गों में पुलिस अधिकारियों का चयन किया। दूसरे चरण में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण की अध्यक्षता वाली कमेटी ने चयनित किए गए पुलिस अधिकारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तर पर चयन किया। अन्तिम चरण में केन्द्रीय गृह मन्त्रालय की विशेष टीम द्वारा राज्य स्तर पर चयनित किए गए पुलिस अधिकारियों को उनकी प्रशिक्षण दक्षता व प्रदर्शन के आधार पर अन्तिम रुप से केन्द्रीय गृह मंत्रालय मेडल के लिए चयन किया।

राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक को सर्वश्रेष्ठ इण्डोर प्रशिक्षक के रुप में चयन किया जाकर उनको केन्द्रीय गृह मंत्रालय का मेडल प्रदान करने की घोषणा केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा की गई है।

राजस्थान पुलिस अकादमी ने मोरिजा में किया सघन वृक्षारोपण

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की फायरिंग रेंज, मोरिजा की पहाड़ियों की गोद में स्थित है। ये पहाड़ियाँ लोह अयस्क की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है, परन्तु छायादार वृक्षों का नितांत अभाव होने के कारण जवानों को गर्मियों में फायरिंग अभ्यास में काफी तपिस का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अकादमी के निदेशक राजीव दासोत के निर्देशन में आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (आउटडोर) द्वारा महिन्द्रा एवं महिन्द्रा फाइनेंस जयपुर के सौजन्य से इस क्षेत्र को छायादार औषधीय व फलदार वृक्षों के उपवन के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की गई। 70वाँ स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में दिनांक 20.08.2016 को मोरिजा फायरिंग रेंज में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छायादार व फलदार प्रजातियों के 16 किस्म के लगभग 400 पेड़ लगाये गये, जिनमें अशोक, करंज, मोलश्री, गुलमोहर, सरस, शीशम, बड़, गुलर, नीम, जकरण्डा, अर्जुन, सिल्वर ऑक, कनेर, केशिया श्यामा, आम एवं जामुन के पेड़ सम्मलित हैं।

इस अवसर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेंस के डिविजनल मैनेजर श्री इन्दूभूषण शर्मा, अकादमी के अधिकारीगण, महिन्द्रा फाइनेंस के रीजनल एच.आर. श्री मुकुल कुमार, ग्राम पंचायत मोरिजा के सरपंच श्री बलवीर शर्मा वृताधिकारी गोविन्दगढ़ श्री ओनाड़ सिंह, थानाधिकारी सामोद श्री विक्रम सिंह व महिन्द्रा फाइनेंस के कर्मचारियों के अतिरिक्त अकादमी के प्रशिक्षक, प्रशिक्षु आरपीएस एवं प्रशिक्षु कान्स्टेबल भी उपस्थित थे।

श्री दासोत ने इस कार्यक्रम को पुलिस जन सहभागिता व समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने अपने संबोधन में वृक्षारोपण के महत्व को समझाते हुए अकादमी के प्रयासों के बारे में बताया कि अकादमी समय–समय पर अपने पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को निभाती आयी है। उन्होंने कहा कि केवल वृक्षारोपण की औपचारिकता निभाने से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे वरन् इस संबंध में सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मोरिजा फायरिंग रेंज पर पर्याप्त वृक्ष नहीं होने के कारण गर्मी में फायरिंग के समय विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिए वृक्षारोपण के लिए इस बार मोरिजा को चुना गया है। उन्होंने अकादमी सदस्यों को लगाये गये वृक्षों के संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया। उन्होंने इस अवसर पर महिन्द्रा फाइनेंस को वृक्षारोपण के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।

आईपीएस अधिकारियों की सेवानिवृति पार्टी

राजस्थान पुलिस से आलोच्य तिमाही में दिनांक 1.8.2016 को श्री पी.के. व्यास के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस पद से, श्री गिर्राज मीणा एवं श्री रोहित महाजन के महानिरीक्षक पुलिस पद से तथा अनिल जैन के उप महानिरीक्षक पुलिस पद से सेवानिवृत्त होने पर आईपीएस एसोसिएशन द्वारा अकादमी स्थित मनुसदन में उनके सम्मान में सेवानिवृत्त पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक पुलिस श्री मनोज भट्ट, आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नवदीप सिंह महानिदेशक होमगार्ड एवं अन्य सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों ने शिरकत की। अकादमी के निदेशक तथा आईपीएस एसोसिएशन, राजस्थान के सचिव श्री राजीव दासोत द्वारा इस अवसर पर पधारने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। दिनांक 02.09.2016 को श्री हेमन्त पुरोहित के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं श्री शिवलाल जोशी के महानिरीक्षक पुलिस के पद से सेवानिवृत्त होने पर एसोसिएशन द्वारा उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया गया। यह भोज अकादमी स्थित ऑडिटोरियम के लॉन में आयोजित किया गया। जिसमें अकादमी परिसर में लाईट एवं सजावट की जाकर अवसर को भव्यता प्रदान की गई। इस अवसर पर भी राजस्थान पुलिस के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों ने परिवार सहित पधारकर अवसर की गरिमा बढ़ाई। आईपीएस एसोसिएशन वर्षों से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के सम्मान में पार्टियाँ आयोजित करता रहा है। उपरोक्त अवसरों पर अकादमी के निदेशक, श्री राजीव दासोत ने आइपीएस एसोसिएशन के सचिव के रूप में सम्पूर्ण व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत रूचि लेकर इन अवसरों को विशेष बनाया।

अकादमी में मेडिकल कैम्प

पुलिसकर्मी प्रायः स्वास्थ्य जाँच की उपेक्षा करते हैं। उक्त उपेक्षा के कारण कई बार शरीर में गम्भीर बीमारियाँ पनपती रहती हैं। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत के निर्देशन पर अकादमी में दिनांक 26.07.2016 से 30.07.2016 तक 5 दिवसीय मेडिकल कैम्प आयोजित किया गया। इस कैम्प में कुल 481 पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस कैम्प में विभिन्न विशेषज्ञों यथा फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट एवं गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा कैम्प में आने वालों की विभिन्न प्रकार की जाँच कर उन्हें मेडिकल परामर्श दिया गया। कैम्प के दौरान ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप, ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल आदि की जाँच की गई। कैम्प में महिला एवं पुरूष पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त लिपिकीय सेवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, अस्थाई कर्मचारियों एवं उनके परिवारजन को भी जाँच की सुविधा प्रदान की गई। कैम्प के दौरान सभी के हेल्थ फोल्डर बनाये गये ताकि अकादमी स्थित चिकित्सालय में उनका स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड संधारित किया जाकर आवश्यकता पर उल्लेखित किया जा सके। स्वास्थ्य कार्डों को डिजिटाइज़ करने का कार्य किया जा रहा है।

बाल यौन हिंसा रोकने में साझे प्रयास की आवश्यकता

विश्व में भारत एक युवा राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र का युवा ही देश की सबसे बड़ी पूँजी कहा जा सकता है। युवाओं में भी सबसे अधिक संख्या बालकों की है, जो अनेक समस्याओं से संघर्षरत है। सर्वप्रथम हमें इनके बचपन को सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए बच्चों को बाल यौन हिंसा से बचाना आवश्यक है। बाल यौन हिंसा किसी भी बच्चे के साथ यौन इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया कार्य कहलाता है। बाल यौन हिंसा में बच्चे के निजी अंगों को छूना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे छूना, अश्लील साहित्य, फोटो या वीडियो दिखाना, बच्चे से अपने निजी अंगों को छूआना, बच्चे की तरफ अश्लील इशारे करना या यौन क्रिया हेतु उकसाना या यौन संबंध बनाना या बलात्कार शामिल है। बाल यौन हिंसा बच्चे को छूकर या बिना छूए की जा सकती है। प्रायः बाल यौन हिंसा करने वाले के संबंध में अनेक भ्रांतियाँ हैं। इसमें बच्चे के माता–पिता, चाचा–चाची, दादा–दादी और मामा–मामी जैसे नजदीकी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आँकड़ों के अध्ययन से यह तथ्य उजागर हो चुका है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में अधिकांशतः उनके नजदीकी रिश्तेदार या परिचित ही होते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे जिनकी अभिरक्षा में रहते हैं, से भी पीड़ित हो सकते हैं। आवासीय कर्मचारी, मित्र, विश्वसनीय व्यक्ति एवं स्वयं बच्चे भी किसी बालक को यौन हिंसा का शिकार बना सकते हैं।

हमारे देश के संविधान में बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए नीति निदेशक तत्वों में बच्चों के कल्याण हेतु विशेष उपबन्ध किये गये हैं। भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य कानूनों में बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए नाबालिग से यौनाचार में स्वीकृति को किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं माना गया है। देश में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों का अध्ययन किया जाए तो वर्ष 2015 में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्थान में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के आँकड़ों को देखा जाए तो 51.20 प्रतिशत बच्चे एक से अधिक बार यौन हिंसा के शिकार बने हैं तथा 52.50 प्रतिशत लड़कों एवं 47.50 प्रतिशत लड़कियों के साथ यौनिक हिंसा हुई है। भारत में 53.52 प्रतिशत बच्चों के साथ एक से अधिक बार यौनिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं तथा 50 प्रतिशत दुर्व्यवहारकर्ता बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले या वो व्यक्ति पाये गये जिन पर बच्चा विश्वास करता है। बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों का एक सच यह भी है कि इस प्रकार के अपराधों के बारे में अधिकतर बच्चे किसी को भी नहीं बताते हैं। इन परिस्थितियों में बच्चों को यौन हिंसा से बचाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

बाल यौन हिंसा के मामले में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ है। बहुत से लोगों का विचार है कि जिन बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना होती है, वे अन्य बच्चों के साथ भी यौन हिंसा करते हैं। अन्य भ्रान्तियों में बच्चों के साथ यौन हिंसा अजनबी ही करते हैं या यौन हिंसा की शिकार केवल लड़कियाँ ही होती हैं, लड़के नहीं, बच्चों के साथ यौन हिंसा करने वाले शातिर अपराधी ही होते है सामान्य व्यक्ति नहीं, बच्चों के साथ उनसे बड़ी उम्र के व्यक्ति ही यौन हिंसा कर सकते हैं या बच्चों के साथ पुरुष ही यौन हिंसा करते हैं महिलाएँ नहीं। अन्य भ्रांति यह भी है कि बाल यौन हिंसा पश्चिमी देशों में ही होती है, भारत में बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है।

बच्चों के साथ यौन हिंसा करने वाले यह मानते हैं कि शर्म के कारण बच्चा दूसरों को अपने साथ हुई घटना के बारे में नहीं बताएगा। वे यह भी सोचते है कि अगर बच्चे ने किसी को कुछ बताया तो उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा तथा लज्जा एवं आत्म ग्लानि के कारण तथा अपराध की प्रकृति को नहीं समझने के कारण बच्चा किसी को कुछ नहीं बता पाएगा। बच्चों को इस प्रकार की घटना होने के पश्चात् अपराधी बहला–फुसलाकर या भयभीत कर बच्चे को चुप करा देते हैं। जिन बच्चों के साथ यौन हिंसा की संभावना अधिक होती हैं उनमें इस प्रकार के बच्चे होते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है या उन्हें पता नहीं होता की किस तरह का छूना या व्यवहार करना सही या गलत है, या जो परिवार या संरक्षक द्वारा उपेक्षित हैं या जिनमें निर्णय लेने की क्षमता कम होती है तथा जो दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अर्न्तमुखी तथा भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के साथ भी इस प्रकार की घटनाएँ ज्यादा होने की संभावना रहती है।

बच्चों को बाल यौन हिंसा से बचाने के लिए अनेक उपाय करने व बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, जिसमें अच्छे व गलत स्पर्श के बारे में बताना, आवश्यकता पर मद्द के लिए जोर से चिल्लाना, खतरा महसूस होने पर सुरक्षित स्थान पर भाग जाना, यौन हिंसा के प्रयासों के बारे में माता–पिता या विश्वसनीय व्यक्तियों को बताना तथा अनजान व्यक्तियों से उपहार स्वीकार नहीं करना शामिल है। बच्चों को यह भी बताना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई अश्लील हरकत करने का प्रयास करता है तो वे स्वयं को दोषी नहीं माने तथा माता–पिता एवं संरक्षक को अवश्य बताऐं। इस संबंध में अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की बात को ध्यान से सुने, उनकी बात पर विश्वास

करें, उन्हें सुरक्षा के उपाय व महत्वपूर्ण फोन नम्बर बताते रहें। अभिभावकों की यह भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ होने वाले अपराध में कानून सम्मत कार्यवाही करें तथा किसी प्रकार के दबाव या लिहाज में नहीं आयें तथा न ही बच्चे के साथ होने वाले अपराध में बच्चे को दोषी ठहरायें।

बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यरत तंत्र की भी सभी संबंधित को जानकारी होनी चाहिए, जिसमें पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, जरूरतमंद व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला बाल कल्याण समिति, कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए जिला किशोर न्याय बोर्ड, बच्चों से जुड़े मामलों को देखने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई, मुश्किल में फसें व जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए निःशुल्क टेलिफोन सेवा चाइल्ड लाइन 1098, बच्चों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए मानव तस्करी विरोधी इकाई, बच्चों से जुड़े समस्त मामलों की सुनवाई व समाधान हेतु राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लड़कियों व महिलाओं को छेड़छाड़ व यौन हिंसा मामलों में सहायता करने हेतु निःशुल्क फोन सेवा गरिमा हेल्प लाइन शामिल हैं। बच्चों को यौनिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कानून बने हुए हैं, जिनमें भारतीय दण्ड संहिता की धारायें, दण्ड विधि संशोधन अधिनियम वर्ष 2012 के प्रावधान, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो) शामिल हैं। जिन बालकों को संरक्षण एवं देखरेख की आवश्यकता हो या जो बालक विधि के विरुद्ध संघर्षरत हैं, उनके लिए किशोर न्याय अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को पोक्सो कानून पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर उनकी क्षमता संवर्धन के साथ ही उन्हें पूर्ण संवेदशील बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रशिक्षित अधिकारियों को अन्य पुलिसकर्मियों एवं विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीएलजी सदस्यों को भी प्रशिक्षित किया जाकर उन्हें बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस को सूचना देने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। थानों में पदस्थापित बाल कल्याण अधिकारियों को अपने क्षेत्र में संचालित बाल गृहों, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में जाकर बच्चों की यौन हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश देने चाहिए। प्रत्येक पुलिस थाना अधिकारी को इस प्रकार के अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित बच्चा अपराधी के सम्पर्क में नहीं आये। इस प्रकार के अपराधों में यथा शीघ्र अनुसंधान किया जाकर एक माह की अवधि में संबंधित न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात् पीड़ित बच्चे एवं उसके परिवार को अपराध की स्थिति के बारे में समय–समय पर जानकारी दी जानी चाहिए तथा पीड़ित अगर अनुसूचित जाति–जनजाति का है तो उसे मुआवजे के प्रावधानों के बारे में बताया जाना चाहिए। पीड़ित के साथ मैत्रीपूर्ण वातावरण में बातचीत करनी चाहिए तथा उसकी पहचान छुपाने के साथ ही आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के मामले में संबंधित थाना अधिकारी द्वारा तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था हेतु पीड़ित प्रतिकार मुआवजा स्कीम, 2011 के तहत अंतरिम मुआवजा/प्रतिकार हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त बच्चों को यौन हिंसा से बचाने के लिए अनेक प्रयास विभिन्न स्तरों पर किये जाने की आवश्यकता है। एक बच्चा सर्वाधिक समय अपने घर एवं विद्यालय में व्यतीत करता है। इसके अतिरिक्त खेल–मैदान, ट्यूशन सेन्टर या घर पर ट्यूशन के दौरान, विद्यालय आने–जाने, आवश्यक सामान बाजार से लाने या किसी अन्य कार्य से घर से निकलने पर लोगों के सम्पर्क में आता है। सभी परिस्थितियों में बच्चे को बताई गई बातें उसकी मद्द करती हैं। परिवार में बच्चे की सुरक्षा माता–पिता की जागरूकता पर निर्भर करती है, परन्तु अधिकांश माता–पिता जागरूक नहीं होने के कारण अथवा अति विश्वासी होने के कारण बच्चे की पूर्ण सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। बच्चे में ज्यादा रूचि लेने वाले या एकान्त में मिलने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों तथा परिवारजन पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए तथा बच्चे को आवश्यक सलाह दी जानी चाहिए एवं इस प्रकार के व्यक्ति को बच्चे से मिलने को हतोत्साहित करना चाहिए। अखबारों में लेख, जागरूकता हेतु पम्पलेट, पोस्टर आदि के माध्यम से तथा पुलिस द्वारा विद्यालय में विद्यालय स्टॉफ एवं अभिभावकों की गोष्ठी करवाकर उन्हें बाल यौन हिंसा के प्रति जागरूक बनाने का कार्य किया जा सकता है। बच्चों को ''कोमल'', फिल्म दिखाकर उन्हें यौन शोषण के प्रति जागरूक किया जा सकता है। विद्यालय में उन स्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहां बच्चों के साथ इस प्रकार की छेड़–छाड़ की सम्भावना अधिक रहती है। विद्यालय एवं आने जाने के रास्तों पर खतरे वाले स्थानों को चिन्हित किया जाकर गुप्त निगरानी की व्यवस्था करके, विद्यालय स्टाफ में संदिग्ध व बच्चों के लाने–ले जाने में लगे बस व ऑटो के ड्रॉईवर एवं खलासी की पहचान कर उनमें से संग्दिध पर विशेष निगरानी रख कर पुलिस बच्चों को यौन हिंसा से बचा सकती है।

– **जगदीश पूनियाँ,** उप अधीक्षक पुलिस

राजस्थान पुलिस अकादमी में नेत्रदान अभिप्रेरण सत्र

राजस्थान पुलिस अकादमी में 'आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान' के द्वारा नेत्रदान के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से दिनांक 2 सितम्बर, 2016 को अभिप्रेरण सत्र रखा गया। इस सत्र में अकादमी के निदेशक राजीव दासोत एवं अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त अकादमी में प्रशिक्षणरत आरपीएस, पुलिस उप निरीक्षक, कॉन्स्टेबल के अतिरिक्त प्रमोशन केडर कोर्स के सहायक उप निरीक्षक प्रशिक्षु भी शामिल हुए।

आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान से अभिप्रेरण सत्र में श्री अशोक भण्डारी, सेवानिवृत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एवं श्री एस.सी. मेहता, सेवानिवृत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पधारे। जिन्होंने नेत्रदान के संबंध में विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करते हुए नेत्रदान से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। इस अवसर पर उनके द्वारा नेत्रदान से संबंधित पोस्टर भी लगाये, जिन पर ''अन्धेरे सपनों में रंग भरो, नेत्रदान करो'', ''नेत्रदान को अपने परिवार की परम्परा बनाईए'',''सुन्दर संसार, बिना दृष्टि सब बेकार'', ''दान करो आँखों के मोती, अमर रहेगी जीवन ज्योति'' जैसे सन्देश लिखे हुए थे।

सत्र की शुरूआत करते हुए श्री अशोक भण्डारी ने बताया कि जहाँ अंगदान जीवित व्यक्ति का ही किया जा सकता है वहीं नेत्रदान मृत्यु पश्चात् किया जाता है। उन्होंने बताया कि नेत्रदान व्यक्ति की मृत्यु के 6 घण्टे पश्चात् तक किया जा सकता है, जिसमें लैन्स निकालने के पश्चात् आँख को बन्द कर दिया जाता है। उन्होंने इस अवसर पर एक छात्र, जिसकी आँख में कोर्निया लगाया गया था, को भी उसके माता–पिता के साथ प्रस्तुत किया तथा इस संबंध में उनके अनुभव बताने के लिए कहा तो पिता ने बच्चे की रोशनी जाने एवं उसके पश्चात् इलाज के बारे में बताया। इस दौरान बच्चे की माँ की आँखों में खुशी के आँसू आ गये। उन्होंने नेत्रदान में पुलिस की विशेष भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया कि जिन लोगों की मृत्यु अकाल या दुर्घटना में होती है, उनके परिजनों से नेत्रदान करवाने में पुलिस अभिप्रेरण का कार्य कर सकती है। नेत्रदान मात्र 20 मिनट में किया जा सकता है तथा कोर्निया को निकालने के पश्चात् 72 घण्टे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा पंचनामा तैयार करने के दौरान नेत्रदान के संबंध में सकारात्मक निर्देशों का भी उल्लेख किया।

इस अवसर पर नेत्रदान पर एक लघु फिल्म भी दिखायी गयी तथा नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर पम्पलेट आदि वितरित कर नेत्रदान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों में नेत्रदान महादान आई कार्ड भरकर आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान को देने का आह्वान किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित लगभग 500 अधिकारियों एवं प्रशिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने नेत्रदान के महत्व तथा नेत्रदान जैसे पावन कार्य को प्रोत्साहित करने में आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान की भूमिका की सराहना की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं प्रशिक्षुओं का आह्वान करते हुए कहा कि हम वर्दीधारी जीते जी अपने प्राणों की आहूति देने में पीछे नहीं हटते तो मृत्यु के पश्चात् नेत्रदान में शंका अथवा संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों एवं प्रशिक्षुओं से अधिकाधिक नेत्रदान संकल्प पत्र भरने का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम के पश्चात् बड़ी संख्या में संकल्प पत्र भरे गये। उन्होंने इस अवसर पर आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान का आभार व्यक्त किया।

साइबर अपराध पर प्रशिक्षण का आयोजन

साइबर अपराध पुलिस के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। अपराधों में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, उसके अनुरूप अनुसंधान अधिकारियों की पूर्ति के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस अकादमी में साइबर अपराधों पर निरन्तर प्रशिक्षण करवाये जा रहे हैं। आलोच्य अवधि में साइबर अपराध पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 11.07.2016 से 20.07.2016 तक बीपीआरएण्डडी के सौजन्य से किया गया। इस प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में श्री शरद कविराज, पुलिस अधीक्षक, एससीआरबी पधारे, जिन्होंने साइबर अपराधों के वर्तमान स्थिति पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। सुश्री भावना सुगन्धा ने बेसिक कम्प्यूटर दक्षता के बारे में जानकारी प्रदान की। एक अन्य सत्र में उन्होंने नेटवर्किंग टेक्नोलोजी के बारे में जानकारी साझा की। श्री मिलिन्द अग्रवाल ने मोबाइल फोरेंसिक एवं विभिन्न एप्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हुये मिटाये गये मैसेज को रिट्रीव करने, डाटा सिडीआर प्रोसेस और एनालिसिस, हेसिंग तकनीक, मोबाइल फोन ट्रेकिंग तकनीक की जानकारी प्रदान करते हुए, अभ्यास भी करवाया। उन्होंने नेटवर्किंग पोर्ट्स, प्रोटोकोल, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम, इन्टरनेट की शुरूआत, प्रोक्सी सर्वर, एन्टी वायरस, फिसिंग एण्ड विसिंग, ऑन लाइन शॉपिंग अपराध एवं ई–मेल ट्रेकिंग के बारे में भी बताया। श्री मिलिन्द अग्रवाल ने ही सोशियल नेटवर्किंग साइट्स, विभिन्न सर्च ईंजन्स, वेब होस्टिंग आदि के बारे में भी बताया। एम.एस. एक्सल, सोर्टिंग एवं पीवॉट टेबल पर श्री कैलाश शर्मा, प्रोग्रामर द्वारा श्री हेमराज, नॉडल ऑफिसर टाटा डॉकोमो द्वारा मोबाइल ट्रेकिंग, एसएमएस फोड्र्स, मोबाइल फोन अपराधों में अनुसंधान, मोबाइल फोरेंसिक्स, सिम मेमोरी, डिवाइस फोरेंसिक्स एवं सिडीआर विश्लेषण तथा इन्टरनेट के बारे में बताया।

प्रतिभागियों को आईटी एक्ट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, धारा 66ए, विलोपित किये जाने का प्रभाव तथा इस प्रकार के मामलों में क्षेत्राधिकार आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। साइबर अपराधों के संबंध में आसूचना संकलन के प्रयोग के बारे में सुश्री सुपर्णा पुरोहित द्वारा जानकारी प्रदान की गई। बैंकिग धोखाधड़ी के मामलों में अपराध निरोध एवं अपराध अनुसंधान तथा साक्ष्य संकलन एवं चार्जशीट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य के बारे में श्री शेखर सिंह, प्रबंधक अनुसंधान, एचडीएफसी बैंक द्वारा जानकारी प्रदान की गई। साइबर अपराधों की अपराध कार्य प्रणाली एवं इस प्रकार के अपराधों में वर्तमान समय में होने वाले अपराधों का विशेष उल्लेख करते हुए इन अपराधों की रोकथाम एवं अनुसंधान के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के समापन सत्र में श्री बीजू जॉर्ज जोसफ महानिरीक्षक पुलिस पधारे जिन्होंने प्रतिभागियों की साइबर अपराधों पर जानकारी परखते हुए इस प्रकार के अपराधों में पुलिस की भूमिका को रेखांकित किया।

दिनांक 08.08.2016 से 12.08.2016 तक हुए प्रशिक्षण में कम्प्यूटर तकनीक, नेटवर्क, डॉमेन एवं सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण, सुरक्षा उपकरण, इन्टरनेट की समझ, साइबर अपराधों का परिदृश्य, विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के संबंध में जानकारी, साइबर अपराधों से संबंधित कानून एवं साइबर अपराधों में डिजिटल फोरेंसिक आदि की जानकारी प्रदान करते हुए चार्जशीट बनाने एवं उसके संलग्न की जाने वाले साक्ष्य के बारे में प्रतिभागियों को डॉ0 सीबी शर्मा, श्री पवन कुमार सिंह, श्री प्रशांत माली, अधिवक्ता एवं श्री आलोक गुप्ता आदि द्वारा व्याख्यान दिये गये।

मानव तस्करी पर प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में मानव तस्करी पर जुलाई से सितम्बर 2016 में 3 प्रशिक्षण आयोजित किये जिसमें 78 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान श्री ओपी शर्मा, सेवानिवृत उप महानिरीक्षक पुलिस ने मानव तस्करी के स्वरूप एवं उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस प्रकार के मामलों में दी जाने वाली दबिश आदि में ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में बताया। उन्होंने वैश्यावृति से मुक्त कराये गये पीड़िताओं को दिया जाने वाले परामर्श एवं पुनर्वास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी के मामलों में पुलिस कार्यवाही के आवश्यक बातों के बारे में बताते हुए इस संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में भी बताया। श्री डीपी सैनी, सेवानिवृत सहायक निदेशक अभियोजन ने मानव तस्करी से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता, आईटीपीए 1956, बोन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट, जेजे एक्ट, ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑरगन्स एक्ट 1994, पोक्सो आदि के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया। श्री एमएम अत्रे, सेवानिवृत महानिरीक्षक पुलिस ने मानव तस्करी, रोजगार हेतु पलायन एवं तस्करी का अन्तर समझाते हुए मानव तस्करी के मूल उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए व्यावसायिक देह शोषण, जबरन मजदूरी एवं बंधुआ मजदूरी के मानव तस्करी के मामलों मे अनेक ज्वलन्त मामलों के उदाहरण प्रस्तुत किये। श्री विजय गोयल ने बाल मजदूरों के मुक्त करवाने की प्रक्रिया से लेकर उनके पुनर्वास एवं देखरेख के संबंध में गैरसरकारी संगठनों एवं अन्य पक्षों की भूमिका के बारे में बताया। बच्चों के अधिकारों के बारे में श्रीमती नीतू प्रसाद ने जानकारी प्रदान की। मानव तस्करी के मामलों में अनुसंधान तथा एन्टीह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट की भूमिका के बारे में श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ ने जानकारी प्रदान की। श्री धीरज वर्मा ने तलाशी, जब्ती तथा गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए मानव तस्करी के व्यावसायिक देह शोषण के अपराधों में अनुसंधान की मानक कार्य विधि बतायी।

श्री आरएस शर्मा, सेवानिवृत अतिरिक्त निदेशक, एफसफएल ने मानव तस्करी के अपराधों में फोरेन्सिक सांइस, मेडिकल ज्यूरिस्ट आदि की भूमिका के बारे में बताते हुए मानव तस्करी के संबंधित पीड़ितों की डीएनए फिंगर प्रिन्टिग के महत्व को बताया। श्री अशोक कुमार गुप्ता, भापुसे ने मानव तस्करी के मामलों में आसूचना संकलन के तरीकों के बारे में बताया। श्री मुकेश यादव ने मानव तस्करी के मामलों में साइबर तकनीक प्रयोग के बारे में बताया।

प्रशिक्षण के समापन सत्र पर श्रीमती लाड कुमारी जैन, पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग ने राजस्थान में मानव तस्करी की समस्या पर प्रकाश डालते हुए महिला आयोग द्वारा अनेक मामलों में की गई कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के कोर्स डाइरेक्टर श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक सीओई तथा सहायक कोर्स डाइरेक्टर श्री आलोक कुमार, पुलिस निरीक्षक थे।

आरपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों का राजस्थान भ्रमण

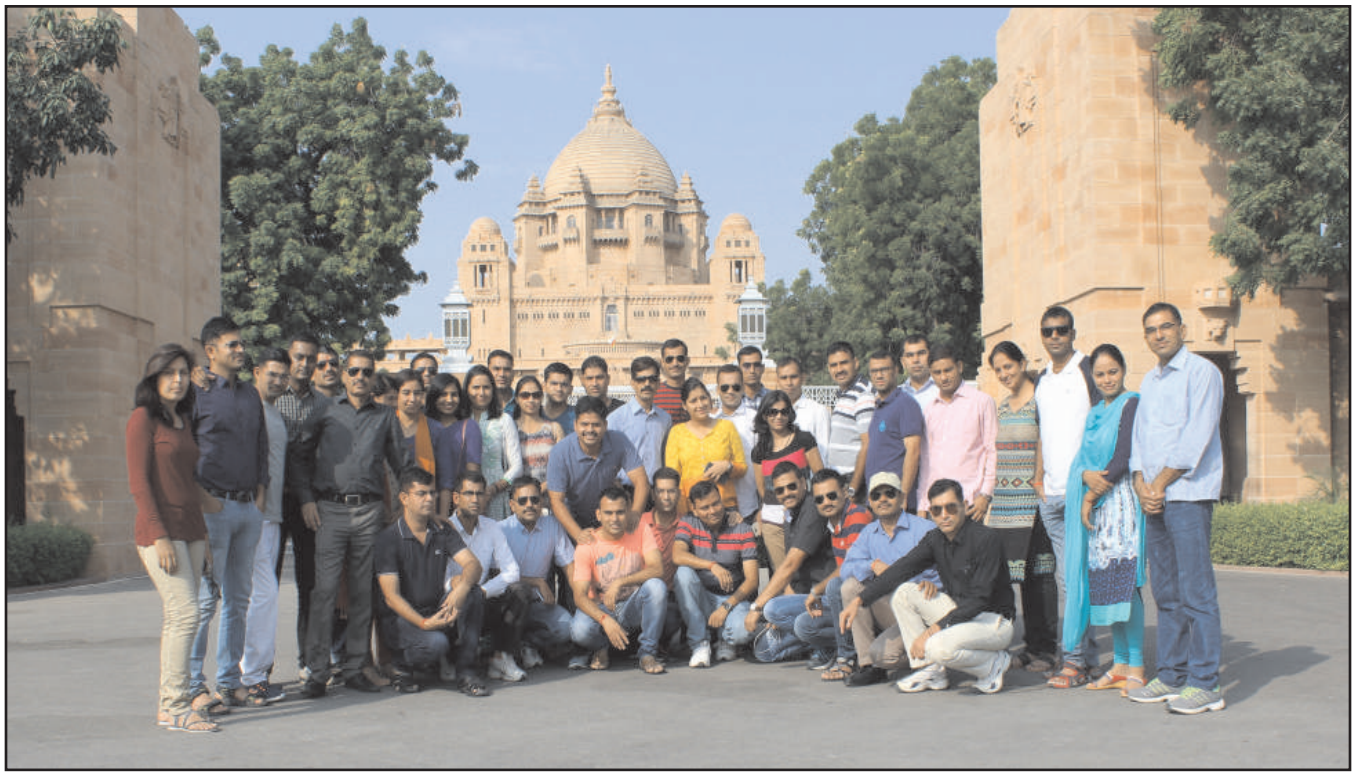

राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणरत राजस्थान पुलिस सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण अपने अन्तिम चरण में है। इस दौरान उन्हें दिनांक 26.09.2016 को राजस्थान भ्रमण के लिए रवाना किया गया। खाटूश्यामजी, जिला सीकर से यात्रा का आगाज करते हुए इन अधिकारियों को बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, माउण्टआबू, उदयपुर, चितौड़गढ़ एवं अजमेर भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया। इस भ्रमण का प्रयोजन प्रशिक्षु अधिकारियों को राजस्थान की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित करवाना था। यात्रा में सम्पूर्ण व्यवस्थाओं एवं जिला अधिकारियों से समन्वय के लिए श्री जितेन्द्र कुमार, कम्पनी कमाण्डर को प्रभारी अधिकारी बनाकर साथ रवाना किया गया।

यात्रा का प्रयोजन प्रशिक्षु अधिकारियों को अधिकतम एक्सपोजर देने के साथ ही जिला अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर संबंधित जिले की पुलिस कार्यप्रणाली एवं जिले में चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना भी रखा गया। जिला पुलिस अधीक्षकों से पूर्व में वार्ता कर यात्रा में आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ही प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों से पारस्परिक विचार विमर्श का कार्यक्रम भी रखा गया। पुलिस अधीक्षकों द्वारा भी प्रशिक्षु अधिकारियों को जिले में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गई। यात्रा पश्चिमी रेगिस्तान के धोरों से गुजरती हुई जोधपुर एवं माउण्टआबू होते हुए झीलों की नगरी उदयपुर तक पहुँचते हुए एवं अनेक पर्यटन स्थलों से गुजरती हुई ऐतिहासिक दुर्ग चितौड़गढ़ होते हुए अन्तिम दिन राजस्थान की धार्मिक नगरी पुष्कर पहुँची। इस यात्रा में दक्षिणी राजस्थान के कोटा संभाग एवं पूर्वी राजस्थान को छोड़कर लगभग सम्पूर्ण राजस्थान के पर्यटन स्थलों को कवर किया गया। प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों का यह शैक्षिक भ्रमण दिनांक 05.10.2016 को समाप्त हुआ।

इस भ्रमण में प्रशिक्षुओं को बीकानेर की चित्रकारी, मेवाड़ एवं मारवाड़ के शौर्य इतिहास की जानकारी के साथ ही राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें यात्रा में राजस्थान की कला एवं संस्कृति को नजदीक से जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ। यात्रा के दौरान ही महानिरीक्षक पुलिस एवं पुलिस अधीक्षकों तथा जिला कलेक्टरों से संवाद के दौरान राजस्थान पुलिस की बदलती भूमिका एवं जन सहभागिता पर जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। यात्रा से प्राप्त अनुभव उन्हें भावी पुलिस जीवन में मार्गदर्शित करेंगे।

राजस्थान पुलिस अकादमी की उप निरीक्षक प्रशिक्षु सपना का रियो ओलम्पिक में चयन

राजस्थान पुलिस अकादमी की सपना पूनियाँ ने रियो ओलम्पिक में चयन करवाकर अकादमी एवं राजस्थान पुलिस दोनों का नाम रोशन किया। राजस्थान पुलिस में सपना की शुरुआत वर्ष 2008 में कॉन्स्टेबल के रूप में हुई तथा वर्ष 2012 में प्रथम बार रेंज स्तर पर पुलिस अन्तर रेन्ज प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी पहचान बनाई। उसने 2013 में लखनाऊ में आयोजित ऑल इण्डिया पुलिस एथेलेटिक्स मीट में पैदल चाल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यहीं से सपना के सपनों ने परवाज भरना शुरू किया। उसके सपनों को पंख लगाने में तात्कालीन मुख्य खेल अधिकारी एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन्स श्री राजीव दासोत तथा श्री रामसिंह डिप्टी कमांडेंट 5वीं बटालियन आर.ए.सी. की अहम् भूमिका रही। सपना के अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने में भी उन्होंने गहरी दिलचस्पी दिखाई। उनकी प्रेरणा और समर्थन से सपना ने अगस्त 2014 में फैडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 किमी पैदल वॉक में हिस्सा लिया तथा रजत पदक हासिल किया। नवंबर 2014 में दिल्ली में आयोजित नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप में 20 किमी पैदल चाल में सपना को स्वर्ण

पदक प्राप्त हुआ। सपना के प्रदर्शन के कारण ही उसे एशियन रैस वॉकिंग प्रतियोगिता जापान में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें उसने 01:35:36 समय के साथ रियो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया।

राजस्थान पुलिस में और भी सपना हो सकती हैं, जिन्हें तलाशने और तराशने की आवश्यकता है। सपना का सफर स्थानीय खेल से अन्तरराष्ट्रीय खेल तक मात्र तीन वर्ष में पहुँच गया। वर्ष 2012 तक सपना को कोई नहीं जानता था। आज सपना अपनी मेहनत और लगन से तथा उच्चस्तर पर मिले समर्थन के कारण अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर

रोहिताश को पुलिस मेडल

राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित श्री रोहिताश सिंह, प्लाटून कमाण्डर को गणतन्त्र दिवस 2016 के अवसर पर पुलिस विभाग में उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। श्री रोहिताश की राजस्थान पुलिस में सेवाएं 01 जून 1981 को आरक्षी के पद पर तृतीय बटालियन आरएसी से शुरू हुई थी। तत्पश्चात इन्हें 10वीं बटालियन आरएसी, आईआर अलीगढ़, उत्तरप्रदेश में पदस्थापित किया गया। उक्त बटालियन के बीकानेर स्थानान्तरित होने के पश्चात् इन्हें गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में पंजाब उग्रवाद के दौरान कठिन परिस्थितियों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 1987 में श्री रोहिताश को 10वीं बटालियन से 6वीं बटालियन धौलपुर में स्थानान्तरित किया गया। जहाँ दस्यु उन्मुलन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान ही इन्हें मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई। 13 दिसम्बर 1997 को जिला करौली में सोरे मकनपुर में खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान अवैध हथियार जब्त करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सेवाकाल के दौरान सराहनीय सेवा करने पर रोहिताश को उत्तम सेवा चिन्ह, अतिउत्तम सेवा चिन्ह एवं सर्वोत्तम सेवा चिन्ह से नवाजा जा चुका है।

श्री रोहिताश का वर्ष 2000 से 2008 तक तथा वर्ष 2011 से पदस्थापन राजस्थान पुलिस अकादमी में रहा है। वर्ष 2015 में आपको प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदौन्नति प्रदान की गई। पुलिस पदक प्राप्त होने पर आपको श्री मनोज भट्ट, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा बधाई प्रेषित की गई। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने भी श्री रोहिताश को पुलिस मेडल मिलने पर हार्दिक बधाई दी।

अकादमी द्वारा टोंक में यूनिसेफ के सौजन्य से बाल मित्र योजना का संचालन

बालकों के अधिकारों के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी ने टोंक जिले को बाल मित्र जिला बनाने का बीड़ा उठाया है। विगत एक वर्ष से वहाँ अनेक कार्यक्रम आयोजित करवाये जा चुके हैं। टोंक जिले के सदर पुलिस थाने को बाल मित्र पुलिस थाने के रूप में मॉडल पुलिस थाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। विद्यालय में उक्त प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनकी बाल अधिकारों के प्रति जानकारी परखी जाकर श्रेष्ठ विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनियारा में समाजोपयोगी उत्पादक शिविर में भी बच्चों को बाल अधिकारों एवं बालिका संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

टोंक जिले में कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बाल मित्रवत बनाना तथा बाल अधिकारों से संबंधित कानून एवं अन्तरराष्ट्रीय संधियों की जानकारी देना है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों के पश्चात् पुलिस बल बच्चों के प्रति पूर्ण दक्षता एवं संवेदनशीलता से कार्य करने में सक्षम होगा। अकादमी की सहायक निदेशक श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ एवं निरीक्षक पुलिस श्री धीरज वर्मा तथा यूनिसेफ के श्री यदुराज शर्मा एवं श्री विश्वास शर्मा उक्त कार्यक्रम हेतु समय–समय पर टोंक जिले में पुलिस अधिकारियों, सीडब्लूसी, जेजेबी, सीएलजी के सदस्यों एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें टोंक जिले में बाल संरक्षण से संबंधित विषयों की जानकारी एवं उनके समाधान पर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यशाला के दौरान उन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1986, मानव तस्करी के मामलों में अनुसंधान, महिला एवं बाल डेस्क, बालकों के अधिकारों से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि की जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को बाल विवाह एवं इससे बच्चों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उक्त के संबंध में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर उन्हें विधि से संघर्षरत बच्चों पर आधारित लघु फिल्म ''एक था बचपन'' भी दिखाई गई।

दिनांक 20.09.2016 से 22.09.2016 तक हुई कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में श्रीमती प्रीति जैन, पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक एवं श्री महेन्द्र कुमार दवे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिरकत की। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती प्रीति जैन ने कहा कि आमजन की पुलिस से अनेक अपेक्षाएं रहती हैं परन्तु बच्चों की सुरक्षा हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बालकों के विरुद्ध अपराध करने वालों पर त्वरित कार्यवाही से न केवल बच्चों को न्याय मिलता है अपितु इससे जनता का पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को बाल अधिकारों के प्रति पूर्ण संवेदना से कार्य करने का आह्वान किया। श्री महेन्द्र दवे ने द्वितीय सत्र में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हुए सभी संबंधित पक्षों की भूमिका को रेखांकित किया। श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ, सहायक निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने महिला एवं बाल डेस्क के कार्य पर प्रकाश डाला। श्री धीरज वर्मा, निरीक्षक पुलिस, राजस्थान अकादमी ने मानव तस्करी में बालकों की तस्करी से बच्चों के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताते हुए इस प्रकार के मामलों में अनुसंधान की प्रक्रिया बतायी। श्री यदुराज एवं श्री विश्वास शर्मा ने ''एक था बचपन'' फिल्म की विषय वस्तु तथा दिये गये संदेश पर चर्चा की। कार्यशाला के समापन सत्र में टोंक जिले के किशोर न्याय बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री शालिनी गोयल, आरजेएस पधारी, जिन्होंने किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली एवं व्यावहारिक कठिनाईयों पर चर्चा करते हुए पुलिस अधिकारियों से बाल अधिकारों के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता से कार्य करने का आह्वान किया। इस कार्यशाला में कुल 38 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राजस्थान पुलिस अकादमी में मनाया तीज महोत्सव

राजस्थान पुलिस अकादमी में आवासीय परिसर के परिवारों के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अकादमी परिसर में रहने वाले बच्चों एवं महिलाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। इस कड़ी में दिनांक 05.08.2016 को अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में तीज महोत्सव मनाया गया। राजस्थान में इस त्यौहार का विशेष महत्व है, जहाँ महिलाएँ लहरिया पहन कर झूला झूलती हैं तथा सावन की मल्हार में सरोबार होकर नृत्य एवं संगीत का लुत्फ उठाती हैं। तीज का त्यौहार सावन माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन मनाया जाता है।

यह आयोजन श्रीमती अन्नु भट्ट एवं श्रीमती लविना दासोत के विशेष मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के कई कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस अवसर पर आवासीय संकुल की लगभग 400 महिलाओं एवं बालक–बालिकाएँ कार्यक्रम में उपस्थित हुई। महिलाओं एवं बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जयपुर में पदस्थापित भारतीय पुलिस अधिकारियों के परिवारों से भी महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के प्रारम्भ में श्रीमती अन्नु भट्ट एवं श्रीमती कमल सम्पतराम एवं अन्य अतिथि महिलाओं का श्रीमती लविना दासोत ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्जवलन के पश्चात् गणेश वन्दना से हुई। कार्यक्रम में म्हारे छैल भँवर को कांगसियों, मोरिया आच्छयो बोल्यो रे ढ़लती रात मे, म्हारो अस्सी कली को घाघरो, काल्यो कूद पड़्यो मेला मे आदि गानों पर एकल, युगल एवं सामूहिक नृत्य के अतिरिक्त डांडिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों में सेवासंकुल की महिलाओं एवं बच्चियों के अतिरिक्त आरपीए विद्यालय एवं बाल गोडावन केन्द्र के बच्चों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के परिवारों से शिरकत करने वाली सम्मानित महिलाओं ने भी अनेक प्रस्तुतियाँ दी। उन्होंने घूमर नृत्य एवं म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में भी भाग लेकर तीज महोत्सव को भव्यता प्रदान की।

कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया, जिसमें मेहन्दी, रंगोली एवं नृत्य की प्रतियोगिताएँ करवायी गयी। इन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पारितोषिक प्रदान कर उनका हौंसला बढ़ाया गया। प्रतियोगिता में सर्वोतम नृत्य एवं सर्वोतम वेशभूषा वाली प्रतिभागियों को भी पुरस्कार प्रदान किये गये तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं की लगभग 50 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किये गये। निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने महिला अधिकारियों को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता एवं नेतृत्व करने पर प्रशंसा पत्र प्रदान कर हौंसला बढ़ाया।

Training Courses Conducted During the Quarter from 01-07-2016 to 30-09-2016

Basic Training

S.No.	Name of Training	Batch No.	No. of Trainees	Duration
1.	RPS (Probationer)	47	46	08-03-2016 to 31-10-2016
2.	Sub Inspector (Probationer)	42	15	07-01-2016 to 06-01-2017
3.	Recruit Constable (Band Basic)	65	55	09-05-2016 to 08-09-2016
4.	Recruit Constable (Lady)	66	189	20-06-2016 to 19-03-2017
5.	CISF Constable (Band Professional)	01	45	28-03-2016 to 27-11-2016
6.	Constable (Band Professional)	11	55	14-03-2016 to 13-11-2016
7.	Sub Inspector (Transport Dept.)	07	130	26-09-2016 to 04-12-2016
			535	

Promotion Cadre Courses

S. No.	Name of PCC	Batch No.	No. of Trainees	Duration
1.	Promotion Cadre Course for FC to HC (Band)	05	04	01-03-16 to 21-07-16
2.	Promotion Cadre Course for HC to SI (Band)	02	02	04-07-16 to 17-08-16
3.	Promotion Cadre Course for HC to ASI	52,53	256	18-07-16 to 18-09-16 19-09-16 to 20-11-16
4.	Promotion Cadre Course for ASI to SI	45,46,47	369	30-05-16 to 12-07-16 20-06-16 to 21-08-16 19-09-16 to 20-11-16
5.	Promotion Cadre Course for SI to CI	70	83	30-05-16 to 09-08-16
			714	

In Service Courses

S. No.	Name of Course	Total No. of Courses	No. of Officers Trained	Sponsored By
1.	Anti-Human Trafficking Course	03	78	BPR&D, Shakti Vahini
2.	Investigation of Cyber Crime Cases	04	112	BPR&D, In House
3.	Gender Budgeting (MWCD), New Delhi	01	38	MWCD, CDPSM
4.	Investigation of Economic Crime Cases	03	95	BPR&D,In House
5.	Investigation of Organized Crime	02	80	In House
6.	Art of Supervision of Investigation for Senior Officers	02	49	In House
7.	Investigation of Murder/Homicide Cases	02	35	BPR&D
8.	Station House Management	01	18	BPR&D
9.	Child Protection (UNICEF), Jaipur	01	35	UNICEF&CDPSM
10.	Interrogation Techniques	01	24	BPR&D
		20	**564**	

प्रशिक्षु महिला कान्स्टेबल नेत्रदान संकल्प पत्र के साथ

Editorial Board

Editor in Chief
Rajeev Dasot, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Rajesh Kumar Sharma (DD)
Sanjeev Nain (AD)
Alok Srivastav (AD)
Anukriti Ujjainia (AD)
Laxman Singh Manda (AD)
Dilip Saini (AD)

Photographs by : Sagar
Typing by : Makhani

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097